न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 106/2023

जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लि0 शाखा कार्यालय–403–404, चतुर्थ तल, गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड, जयपुर राज0 जरिये जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुखेन्दु आचार्य।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमल कान्त शर्मा
   खसरा नंबर 105, अन्छी का बास, जागीर बांदीकुई, दौसा राज0
2. श्री गोविन्द स्वरूप शर्मा
   खसरा नंबर 105, अन्छी का बास, जागीर बांदीकुई, दौसा राज0

......अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री गुंजन व्यास, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 3,50,000/–(रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नंबर 105, अन्छी का बास, जागीर बांदीकुई, दौसा में स्थित है जिसका बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 276.61 वर्गगज है जो कि श्री कमल कान्त शर्मा पुत्र गोविंद स्वरूप शर्मा के स्वामित्व की है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:51:33 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा